

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी:
राजस्व वाद संख्या :
जीसीएमएस संख्या—
निर्णय दिनांक:

ओमप्रकाश वर्मा (आर0ए0एस0)
194 / 2025
2025 / 636
26.03.2026

बजरंगलाल बनाम राजस्थान सरकार


—:निर्णय:—

दिनांक: 26.03.2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह वाद-पत्र वादी बजरंगलाल पुत्र आशुराम शर्मा निवासी मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने के से वाद पत्र की पत्रावली संधारित की गयी। राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम मुरडाकिया की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के खाता संख्या 195 में वादी का नाम बजरंगलाल पुत्र आदुराम दर्ज है। जो गलत है। वादी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार बजरंगलाल शर्मा पुत्र आशुराम शर्मा अंकित है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।



वाद पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट संलग्न है। शिविर प्रभारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बजरंगलाल पुत्र आदुराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम बजरंगलाल शर्मा पुत्र आशुराम शर्मा है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।


उप खण्ड अधिकारी

वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परियच पत्र, वोटर आईडी कार्ड एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा से वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध होना सिद्ध होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि वादी का नाम निम्नलिखित तालिका में कॉलम संख्या 05 में अंकित अनुसार है जो वादी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	मुरडाकिया	195	बजरंगलाल पुत्र आदुराम	बजरंगलाल शर्मा पुत्र आशुराम शर्मा

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हसब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2026 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।



(आमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरु)

डिकरी व मुकदमें इब्दादाई
(ऑर्डर 20, कल 6-7 जबा तावागी)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़
बजरंगलाल बगाम राज, सरकार
दावा वावत रिकॉर्ड नुसुरती
मुकदमा नं० 194 सन 2025

सह मुकदमा आज वास्ते इन्फिरसाल कतई स-व-स..... हाजरीएड.
मिनजानिव मुद्दई मिनजानिव मुद्दामलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी की जागी है कि
दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिकरी किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार
सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला वरू तहसील सुजानगढ़ की संवत्
2074-2077 के राजस्व रिकॉर्ड के निम्न ग्राम की प्रविष्टि में अंकन निम्न तालिका अनुसार
दुरुस्त किया जाए-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	गुरडाकिया	195	बजरंगलाल पुत्र आदुराम	बजरंगलाल शर्मा पुत्र आशुराम शर्मा

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे।

मिन मुवलिग वावत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख वसूलमावी तक
को अदा करे।

वसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 03 वर्ष 2026



हस्ताक्षर
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुकमनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये